संख्या-393/2024/1009/41-1-2024-001-सी0एन0-1800018-2024

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ. दिनांक 15 मार्च, 2024

विषय-**मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अन्तर्ग तजनपद-फिरोजाबाद में ब्लाक टुण्डला स्थित मुहम्दाबाद तालाब के जीर्णोद्धार/सौन्दर्गीकरण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप निदेशक (प्रशासन), पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र सं0-9733/मु0प0वि0स0यो0/83-फिरोजाबाद/2024, दिनांक 09.03.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अन्तर्गत जनपद- फिरोजाबाद में ब्लाक टुण्डला स्थित मुहम्दाबाद तालाब के जीर्णोद्धार/सौन्दर्यकरण कार्य हेतु अधिशाषी अभियन्ता, उ0प्र0 लघु सिंचाई विभाग, फिरोजाबाद द्वारा 50 प्रतिशत वित्त पोषण की सहमति पत्र सहित गठित आगणन धनराशि रु० 196.08 लाख का प्रस्ताव प्रेषितकरते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में पर्यटन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक 15-05-2023 द्वारा निर्धारित दिशा- निर्देश/प्रक्रिया के अनुसार पचास-पचास प्रतिशत की सहभागिता पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में मद संख्या-08-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अन्तर्गत जनपद-फिरोजाबाद में ब्लाक टुण्डला स्थित मुहम्दाबाद तालाब के जीर्णोद्धार/सौन्दर्याकरण कार्य हेतु अधिशाषी अभियन्ता, उ०प्र० लघु सिंचाई विभाग, फिरोजाबाद द्वारा गठित कराये गए आगणन रू0 196.08 लाख के दृष्टिगत उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि० (UPPCL) को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए अप्रेजल समिति द्वारा आंकलित धनराशि रू0 196.08 लाख (जी०एस०टी० सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (50 प्रतिशत धनराशि रू० 98.04 ताख पर्यटन विभाग तथा शेष 50 प्रतिशत की धनराशि रू० 98.04 लाख उ०प्र० लघु सिंचाई विभाग, फिरोजाबाद के माध्यम से) एवं राज्य सरकार पर भारित धनराशि रू0 98.04 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में रू0 0.75 लाख (रू० पचहत्तर हजार मात्र) इस शर्त के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि सहभागिता योजनान्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में रू0 0.75 लाख (रू० पचहत्तर हजार मात्र) उ०प्र० लघु सिंबाई विभाग, फिरोजाबाद के माध्यम से साथ ही देय होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- प्रायोजना के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा

(1) पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि० (UPPCL) से एक सप्ताह के अन्दर परियोजना के कार्यों को कराये जाने हेतु सहमति प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत प्रायोजना पर नियमानुसार धनराशि व्यय/आवंटन करने से पूर्व महानिदेशक कार्यालय द्वारा जिलाधिकारी की संस्तुति/सहमति प्राप्त कर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं० 3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 1205 2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिपा जायेगा एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं/विभागों/प्राधिकरणों आदि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्य पर धनराशि का नियमानुसार व्यय टेण्डर लागत के आधार पर वास्तविक रूप से किया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैपार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर के तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही प्रायोजना के निर्माण हेतु दूसरी किश्त निर्गत की जायेगी।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही अनुमादित कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि चार्जेज नहीं दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(8) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0 एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतानके अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी०एस०टी० भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र जी0 एस0टी0 इन्वायस एवं धनराशि के भुगतान का पूर्ण प्रमाणित विवरण सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय- समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध नही करायी जायेगी।

(11) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिक्षित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(12) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्जित करने के सम्बन्ध में वित्त (आप व्यपक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-023/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VI) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(13) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यप की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(15) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिपि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) प्रायोजना में स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(18) अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) कार्य की विशिष्टियॉ, मानक एवं गुणवत्ता आदि की पूर्ण जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय। इसके लिए परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्तित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रायोजना का पर्टचार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

(20) प्रसावित निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भूमि की वैधानिक पति की जायेगी तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापति एवं पर्यावरणीय क्षारी प्राप्त कर लिया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बधित व्यवनिका भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्क्षित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(21) अवयुकत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यप उवकता तथा विध्यानुसार किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय पन पर यदि ब्याज अर्पित किया जाता है तो उसे राजकोष में जगा कराना सुनिश्वित किया जाय।

(22) सोलर लाइट/सौर ऊर्जा से सम्बन्धित लाइटों उपकरणों का कप उ0प्र0 नवीन पर्व नवीक विकास अभिकरण (UPNEDA) से निपधानुसार कप किया जाना सुनिशित किया जायेगा।

(23) परियोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजनाकी क्लोजर रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में उका कृत्य की अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक अपर परियोजना प्रवन्धक एवं ठेकेदार के विरूद्ध निपमानुसार प्रथम सूबना रिपोर्ट (एफ०आई०आर०) दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/उपनिदेशक, पर्यटन। न द्वारा की जायेगी।

4- इस संबंध में होने वाता व्यप रूपये 75,000 (रू० पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 लेखा शीर्षक 5452801040800 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मानक मद-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5-यह आदेश वित्त (आप-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023- 231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्राविधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीप,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2 महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, उशासन।
4जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
5 मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6 अधिशाषी अभियन्ता, उ०प्र० लघु सिंचाई विभाग, फिरोजाबाद।
7. निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
8.वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय लखनऊ।
9 निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण (PNEDA)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

10. उप निदेशक (प्रशासन) पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-8.9व 11 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
11. सहायक पर्यटक अधिकारी आगरा।
12. वित्त (व्यय नियंत्रण अनुभाग 71
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।